



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
**National Commission for Scheduled Tribes**

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-976/MH/4/2022-ESDW

दिनांक: 28.01.2023

सेवा में,

श्री रिशया (रिशु) वाज्या खरपड़े,  
गांव - सूत्रकार (काटिलपाड़ा),  
ता. तलासारी,  
जिला पालघर-401606,  
महाराष्ट्र

**विषय:** आयोग के कार्य के अनुशार अनुच्छेद 338(क) के खंड (5) के अंतर्गत भूमि के संबंधित मामलों के संबंध में श्री रिशया (रिशु) वाज्या खरपड़े, गांव - सूत्रकार (काटिलपाड़ा), ता. तलासारी, जिला पालघर-401606, महाराष्ट्र का दिनांक 21.04.2022 का अभ्यावेदन।


महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक जी ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 08.02.2023 को अपराह्न 12:00 बजे, आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली में सुनवाई/सिटिंग तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से समन जारी कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

1084  
28/1/23  
जिस पर  
ISSUED

भवदीय

  
(एस. पी. मीना)  
उप-निदेशक